राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1523/2024

मनोज कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर जरिये शासन सचिव (प्रशासन)।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.03.2024
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वर्तिका मेहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राहुल लोढ़ा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर बालेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लालसोट किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 2021 में बालेर पदस्थापित किया गया था और आलोच्य आदेश के द्वारा बालेर सवाई माधोपुर से लालसोट बिना किसी कारण के स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी कारण के किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी की पत्नी जो सहायक अभियंता के पद पर जेडीए जयपुर में कार्यरत है और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में

कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीक स्थान पर होना चाहिए। अपीलार्थी की पत्नी एवं उसका परिवार लालसोट रहने वाला है और पूर्व में अपीलार्थी को उसके परिवार के द्वारा प्रताडित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में शिकायत दर्ज की थी और विभाग द्वारा अपीलार्थी को पुनः उसी के क्षेत्र में स्थानान्तरण किया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आचार संहिता लगने के दौरान किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है और जो राजकीय सेवक की परिभाषा में नहीं आती है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम एवं जनहित में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर बालेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लालसोट किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण आचार संहिता के दौरान किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आदेश दिनांक 15.03.2024 को जारी किया गया है, जो आचार संहिता लगने से पूर्व जारी किया जाना प्रकट होता है। जहां तक पारिवारिक परेशानियों का प्रश्न है, अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग 2 वर्ष से अधिक लम्बे समय अंतराल बाद किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें राज्य हित में कहां पर ली जानी हैं और इस प्रकार स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 नियमानुसार जारी किया जाना प्रकट होता है।

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य